



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 312]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 24, 2017/वैशाख 4, 1939

No. 312]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 24, 2017/ VAISAKHA 4, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 401(अ).—राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के अधिक्रमण में, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप को पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु गठित अंतर-मंत्रालयी बोर्ड में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

- (i) संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
- (ii) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि
- (iii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि; तथा
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधि

इसके अलावा, सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग आवश्यक होने पर, अंतर-मंत्रालयी बोर्ड में किसी अन्य विभाग से प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं।

[फा. सं. 5(91)/2015-बीई-1]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Industrial Policy and Promotion)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st April, 2017

G.S.R. 401(E).—In partial modification of Gazette Notification No. (s), G.S.R. 180(E), dated 17th February 2016 and in supersession of G.S.R. 439(E), dated 22nd April 2016, the Inter-Ministerial Board constituted for furnishing certificate of eligibility to Startups for availing tax benefits under the Income Tax Act, 1961 is hereby amended as follows:

- (i) Joint Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion
- (ii) Representative of Department of Biotechnology
- (iii) Representative of Department of Science & Technology, and
- (iv) Representative of Ministry of Electronics and Information Technology

Further, Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion may nominate representative from any other Department to the Inter-Ministerial Board, as may be deemed necessary.

[F. No. 5(91)/2015-BE.I]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 22, 2016/वैशाख 2, 1938

No. 283]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 22, 2016/VAISAKHA 2, 1938

वणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 439(अ).—भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या जीएसआर 180(अ) दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत 'स्टार्टअप' को परिभाषित किया तथा घोषणा की है कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक होगा ।

भारत सरकार, एतद्वारा, उक्त प्रयोजनार्थ, अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का निम्नवत गठन करती है :-

- श्री शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
- डॉ. अल्का शर्मा, निदेशक/वैज्ञानिक 'एफ' जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- श्री एच के मित्तल, अध्यक्ष नवप्रयोग/उद्यमिता एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

[फा. सं. 5(91)/2015-बीई.1]

शैलेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2016

G.S.R. 439(E).—The Government of India, vide Notification No. G.S.R. 180(E), dated 17th February, 2016 defined 'startup' under Startup India initiative, and has declared that a certificate of eligibility shall be required by such 'startup' for availing tax benefits under the Income Tax Act, 1961.

The Government of India hereby constitutes the Inter-Ministerial Board for the said purpose as follows:

- Shri Shailendra Singh, Joint Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion,
- Dr. Alka Sharma, Director/Scientist 'F', Department of Biotechnology, and
- Sh. H.K. Mittal, Head, Innovation/Entrepreneurship & National Science & Technology Entrepreneurship Development Board, Department of Science & Technology.

[F. No. 5(91)/2015-BE.I]

SHAILENDRA SINGH, Jt. Secy.